

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 61/2019 RCMS 2019/000136

### प्रार्थी

1. हीराराम पुत्र भीवाराम जाति मेहरा निवासी बावरियो का मोहल्ला पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

### अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार भूमिधारी कुचामनसिटी।
  2. सन्नीदेवी
  3. सुशीला पुत्रीया श्री भीवाराम जाति मेहरा साकिन पदमपुरा।
- आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम वास्ते भू-राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकित अशुद्ध अंकन को शुद्ध करने बाबत।

उपस्थित :- श्री रामनिवास अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

### आदेश

दिनांक :- 13/3/2020

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 392 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 4.97 हैक्टर आई हुई है, प्रार्थी का वास्तविक नाम हीराराम पुत्र भीवाराम है जबकि पिता के फौत होने पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र भीवाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है, प्रार्थी के दस्तावेजात पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में सही एवं वास्तविक नाम हीराराम पुत्र भीवाराम दर्ज है, उक्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को प्रार्थी शुद्ध करावाना चाहता है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से नकल लेने से ज्ञात हुआ, राजस्व विधि का भी यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी अशुद्ध प्रविष्टि के सम्बन्ध में भूमि अभिलेख अधिकारी राजस्व अधिकार अभिलेख/रजिस्टर में लिपिकीय त्रुटिवश अशुद्ध प्रविष्टियों को किसी भी समय शुद्ध किया जा सकता है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि मौजा पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ के खसरा नम्बर 392 व 393 कृषि भूमि के भू-राजस्व अधिकार अभिलेख/रजिस्टर में खातेदार काश्तकार हीराराम का लिपिकीय त्रुटिवश वर्तनी की अशुद्धता के कारण हरिराम नाम के अशुद्ध अंकन को शुद्ध किया जाकर खातेदार का नाम हीराराम पुत्र भीवाराम हिस्सा 1/40 जाति मेहरा साकिन देह खातेदार के नाम से शुद्ध करवाने के आदेश जारी फरमाकर इस आशय का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश फरमावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उसके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, आधार कार्ड सं. 3376 6807 9387 की छाया प्रति, राशन कार्ड सं. 008381900720 हिराराम पुत्र भीवाराम पदमपुरा की छाया प्रति, भामाशाह कार्ड YUWODUF की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र GSR/1393842 की छाया प्रति, PAN CARD NO. DXKPR-0927K की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्त की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का वास्तविक नाम हिराराम पुत्र भीवाराम मेहरा ही है, फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय हरिराम अंकित हो गया, प्रार्थी का नाम आधार कार्ड सं. 3376 6807 9387 में हीराराम पुत्र भीवाराम पदमपुरा सरगोठ दर्ज है, राशन कार्ड सं. 008381900720 हिराराम



3

पुत्र भीवाराम पदमपुरा दर्ज है, भामाशाह कार्ड YUWODUF परिवार सदस्यों के साथ हीराराम नाम अंकित है, मतदाता पहचान पत्र GSR/1393842 में हीराराम पुत्र भीवाराम बावरियो का बास सरगोट अंकित है, PAN CARD NO. DXKPR-0927K में हीराराम पुत्र भीवाराम अंकित है, हरिराम का सही नाम हीराराम है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि से होती है, नकल खतौनी सम्वत 2069-2072 अनुसार निम्नवत इन्द्राज है :-

मदन पुत्र कालूराम जाति रेगर सा. आनन्दपुरा बालीदेवी पत्नि पुसाराम अर्जुनराम गोपाल भागूराम श्रवणराम पि. पुसाराम हि. 1/4 दुलाराम पुत्र जीवणराम चन्द्रीदेवी पत्नि हीराराम छीतर पुत्र हीराराम 1/4 हि. जाति मेघवंशी अणचीदेवी पत्नी भीवाराम हरीराम जितेन्द्र पि. भीवाराम सन्तीदेवी सुशीला पुत्रियां भीवाराम 1/8 नानगराम पुत्र गोरधन मेहरा 1/8 हि. परमाराम मुकेश पि. दोलाराम कोम जाट 1/4 सा. देह खातेदार ना.स. 626							
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
392	0.0300	गै.मु.कुँआ	0.0300				
393	4.9700	चाही 1	3.1900	133.9800			
		जाव 1	1.7800	37.3800			
कुल खसरे - 2	5.0000		5.0000	171.36			

जमाबन्दी नकल सम्वत 2073 से 2076 अनुसार निम्नवत इन्द्राज है :-

काश्तकार का नाम:-							
1. अणचीदेवी पत्नि भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
2. चन्द्रीदेवी पत्नि हीराराम हिस्सा- 1/16 जाति- मेघवंशी सा. देह खातेदार							
3. छीतर पुत्र हीराराम हिस्सा- 1/16 जाति- मेघवंशी सा. देह खातेदार							
4. जितेन्द्र पुत्र भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
5. दुलाराम पुत्र जीवणराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेघवंशी सा. देह खातेदार							
6. नानगराम पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/8 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
7. परमाराम पुत्र दोलाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार							
राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा कुचामनसिटी							
8. मुकेश पुत्र दोलाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार							
9. मदन पुत्र कालूराम हिस्सा- 1/6 जाति- रेगर सा. आनन्दपुरा खातेदार							
10. महावीर पुत्र मुनाराम हिस्सा- 1/12 जाति- बावरी सा.देह खातेदार							
11. सन्तीदेवी पुत्री भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
12. सुशीला पुत्री भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
13. हरीराम पुत्र भीवाराम हिस्सा- 1/40 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार							
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
392	0.0300	गै.मु.कुँआ	0.0300	0.00		स्वीकृत नामान्तरकरण : 35 05/09/2019 बेचान	
393	4.9700	चाही 1	3.1900	0.00			
		जाव 1	1.7800	0.00			
कुल खसरे - 2	5.0000		5.0000				



उपखण्ड अधिकारी


इस प्रकार प्रार्थी का नाम हरिराम के स्थान पर हीराराम शुद्ध किया जाना न्यायोचित है, अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

ग्राम पदमपुरा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 392 392 में अंकित प्रविष्टि हरीराम पुत्र भीवाराम हिस्सा-1/40 जाति-मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर हीराराम पुत्र भीवाराम हिस्सा-1/40 जाति-मेहरा सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं शेष खाता बद्रूस्तूर रहेगा, उपरोक्तानुसार अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिये जाते हैं, तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक ...13/3/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(बाबुलाल जाट RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

